पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 188 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2014 रायपुर, दिनांकः 23 / 04 /2014

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 16.04..2014 अपरान्ह 04.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. सी.एल. पटेल	–	सदस्य
3.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
4	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	–	सदस्य
5.	प्रो. भगवंत सिंह	–	सदस्य
6.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
6.	प्रो. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
7.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
8.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई ।

02. **निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा जिला–बालोद	1. एम.ए. पूर्व हिन्दी 2. एम.ए. पूर्व अर्थशास्त्र	30 30	2014–15	**निरीक्षण तिथि :– 19.03. 2014** आज दिनांक 19.03.2014 को शासकीय एकलव्य महा. डौंडी लोहारा, जिला–बालोद का विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य वर्ष 2014–15 हेतु दो विषयों क्रमशः एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं एम.ए. पूर्व अर्थशास्त्र विषय प्रारंभ करने संबंधी था। इस संदर्भ में जो तथ्य पाए गये, वे इस प्रकार से है– **(अ) एम.ए. पूर्व हिंदी हेतु –** 1. कक्षा तथा फर्निचर पर्याप्त है।	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					2. अध्ययन हेतु दो अतिथि व्याख्याता हैं जिनकी नियुक्ति पुनः जुलाई 2014 से की जाएगी। 3. ग्रंथागार में उपलब्ध पुस्तकें अपर्याप्त हैं। प्राचार्य के अनुसार अनुमति पश्चात् पुस्तकें क्रय की जाएगी। **<u>(ब) एम.ए. पूर्व अर्थशास्त्र हेतु</u>** – 1. कक्षा तथा फर्नीचर पर्याप्त है। 2. अध्ययन हेतु एक नियमित सहायक प्राध्यापक है। तथा एक अतिथि व्याख्याता है। अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति पुनः जुलाई 2014 से की जाएगी। ग्रंथागार में उपलब्ध पुस्तकें अपर्याप्त है। प्राचार्य के अनुसार अनुमति पश्चात् पुस्तकें क्रय की जाएगी।	
2.	देव संस्कृति कॉलेज आफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, ग्राम–खपरी, पोस्ट–जेवरा सिरसा, जिला–दुर्ग (छ0ग0) 491001	**B.Com.-III Year** Compulsory Subject with computer Application	50	2012–13	**<u>निरीक्षण तिथि :– 07.04.2014</u>** 1. छात्रों की संख्या – B.Com.-I= 26, B.Com.-II= 04, B.Com.-III= 05 2. शिक्षकों की संख्या – 03 (0101 U/S 28 and 02 Adhoc) 3. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 4. पुस्तकों की संख्या = 287 5. कम्प्यूटर की संख्या = 21 6. Licensed Software = Windows Server, XP, Vista, XP Tablet, Oracle 8i (DBM), Linux/Unix, C, Tally 5.4, MS. Office. पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकों की नई एवं Multiple copy क्रय की जाय।	**निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 30 जून, 2014 तक पूर्ण करें।**

03. श्री अमित चन्दना एवं कपिल कंवर के शोध प्रबंध का मूल्यांकन कराकर परीक्षाफल घोषित करने के संबंध में छ.ग. शासन से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 6--170 / 2010 / न्या.प्र. / 38–2 रायपुर, दिनांक 03.03.2014 पर विचार करना।

निर्णय : माननीय उच्चतम न्यायालय नई–दिल्ली के प्रकरण कमांक WPC/19 द्वारा प्रोफेसर यशपाल एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 11.02.2005 को पारित आदेश के परिपालन हेतु समन्वय समिति ने मान्यता समाप्त किये जाने वाले निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम प्रवेश की व्यवस्था करते हुए परिनियम 27-A बनाया। जिसे पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में भी लागू किया गया।

परिनियम 27-A के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों (अंतरिम संस्थान) को कंडिका 8 एवं 9 में उल्लेखित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में अंतरिम सम्बद्धता प्रदान की गई। इस क्रम में गुरूकुल इंस्टीट्यूट एच. 14, टी.वी. टावर, शंकर नगर, रायपुर को पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. के द्वितीय सेमेस्टर में क्रमशः 18 एवं 6 छात्रों के परीक्षा हेतु मान्यता दी गई। एम.फार्मा. चतुर्थ सेमेस्टर की सूची में शामिल नहीं है।

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ने पत्र कमांक एफ. 6–170 / 2010 / न्या. क. 38–2 / रायपुर, दिनांक 03.03.2014 द्वारा परिनियम 27-A के तहत आवश्यक कार्यवाही करते हुए श्री अमित चंदना एवं कपिल कंवर के एम.फार्मा. चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत लघु शोध प्रबंध को नियमानुसार मूल्यांकन कराकर विधि एवं प्रकिया के अनुसार परीक्षाफल घोषित करने हेतु निर्देशित किया है। परिनियम 27-A की कंडिका 6 के अंतर्गत कंडिका–8 एवं 9 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत संबंधित संस्थान को समस्त जानकारी इस दस्तावेज सहित उक्त पाठ्यक्रम हेतु 7 मई, 2005 तक आवेदन किया जाना आवश्यक था।

प्रकरण 2005 का है तथा संबंधित अंतरिम संस्थान–गुरूकुल इंस्टीट्यूट शंकर नगर, रायपुर द्वारा एम.फार्मा. पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्धता हेतु आवेदन तत्कालीन समय में जमा नहीं किया था, फिर भी, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा, प्रकरण क्रमांक WPC/5543/2010 द्वारा श्री अमित चंदना एवं अन्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2012 के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुए समन्वय समिति को अनुमोदन हेतु भेजने की अनुशंसा की गई बर्शते कि संबंधित अंतरिम संस्थान–गुरूकुल इंस्टीट्यूट शंकर नगर, रायपुर, द्वारा परिनियम 27A की कंडिका–8 एवं 9 में उल्लेखित दस्तावेजों के साथ छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें।

संबंधित अंतरिम संस्थान–गुरूकुल इंस्टीट्यूट, शंकर नगर, रायपुर, चूंकि प्रकरण 2005 का है अतः प्रवेशित छात्रों (श्री अमित चंदना एवं कपिल कंवर) के प्रवेश, नामांकन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अंकसूची का वैधानिक परीक्षण छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय

विनियामक आयोग रायपुर के द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें, ताकि भविष्य में उपाधि प्रदान किए जाने के पश्चात् उपाधि की वैधानिकता बनी रहे।

04. Community Colleges and B.Voc Degree programme प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली के D.O. No. 1-56/2014 (NSQF) Dated 28 March, 2014 पर विचार करना।

निर्णय : Community Colleges and B.Voc Degree programme प्रारंभ करने के संबंध में पत्र की प्रति महाविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। महाविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

05. एम.बी.ए. के अध्यादेश 88 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–A के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

06. विधि के अध्यादेश 60 के के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–B के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

07. एम.पी.एड. के अध्यादेश 172 के के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–C के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

08. भिलाई कालेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई की पी.जी.डी.सी.ए. / डी.सी.ए. / बी.सी.ए. के सम्बद्धता बहाल किये जाने हेतु विधिक अभिमत पर विचार करना।

निर्णय : भिलाई कालेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई में विनियम 129 एवं संशोधित विनियम 129 के पूर्व जिन विषयों में सम्बद्धता थी, उन्हीं विषयों में सम्बद्धता जारी रहेगी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. एम.टेक.इन ऑप्टो इलेक्ट्रानिक्स एण्ड लेजर टेक्नालॉजी के अध्यादेश 178 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–D के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

02. मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इंफार्मेशन साइंस के अध्यादेश 74 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–E के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

03. एम.फार्मा. के अध्यादेश 159 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–F के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

04. एम.एस.सी. आई.टी. के अध्यादेश 150 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–G के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

05. एम.सी.ए. के अध्यादेश 85 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–H के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 189 /अका./वि.प.स्थायी समिति/**2014** रायपुर, दिनांकः 23 **/ 04 /2014**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)